शक्ति दीदी द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम हेतु कार्यशाला का आयोजन

श्रावस्ती 24 अक्टूबर (भि0टा0सं0)। पुलिस कार्यालय के सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव की अध्यक्षता में मिशन शक्ति–05 से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना और मिशन शक्ति के तहत चलाई जा रही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था। इस कार्यशाला का संचालन डॉ. अनिल कुमार द्विवेदी, मण्डलीय सलाहकार (महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन व मिशन शक्ति) द्वारा किया गया।

कार्यशाला के दौरान 'अपर पुलिस अधीक्षक' द्वारा चेक लिस्ट के बारे में विधिवत जानकारी ली गयी तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देने हेतु निर्देशित किया कि महिला बीट कर्मियों को आवंटित बीट की भौगोलिक स्थिति, बीट की जनसंख्या, निवास करने वाले व्यक्तियों की जाति धर्म के बारे में संख्यात्मक जानकारी अवश्य हो।

बीट क्षेत्र में पड़ने वाले स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, अस्पताल, कोचिंग सेंटर, माल, होटल रेस्टोरेंट, साप्ताहिक लगने वाले बाजार, शराब या अन्य मादक पदार्थों की दुकान, मेला आदि हॉट–स्पाट की जानकारी बीट महिला कर्मियों को अवश्य हो। प्रत्येक महिला बीट कर्मी को उसके बीट की आशा बहू, एएनएम, अध्यापक, क्षेत्रीय लेखपाल, ग्रामप्रधान, सम्भ्रान्त व्यक्तियों एवं सरकारी कर्मचारियों के बारे में पूर्ण जानकारी हो।

महिला बीट कर्मी को अपने–अपने बीट क्षेत्र में आवासीय विद्यालयों की जानकारी हो तथा बीट भ्रमण के दौरान इन विद्यालयों में अवश्य जाय एवं यह जरूर देखे कि इन विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं या नहीं, यदि लगे हैं तो चालू हालत में है या नहीं। महिला बीट कर्मी को अपने–अपने बीट क्षेत्र में निवास करने वाले हिस्ट्रीशीटर की जानकारी अवश्य हो। महिला बीट कर्मी उपरोक्त के सम्बन्ध में जानकारी कर पूर्ण विवरण अपनी–अपनी बीट रजिस्टर में अंकित करेगी। प्रत्येक महिला बीट कर्मी अपनी–अपनी बीट में सप्ताह में कम से कम 5 दिवस अवश्य भ्रमण करेंगी।

महिला एवं बाल अपराधों की जानकारी महिला बीट कर्मी को हो तथा जब भी बीट में जाये तो मुकदमें से सम्बन्धित वादिनी पीड़िता एवं उनके परिवारजन से अवश्य मिले तथा उनसे बातचीत कर फीडबैक लें।

क्षेत्राधिकारी नगर सन्तोष कुमार ने कहा कि महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्रों की जांच हेतु महिला बीट कर्मियों को दिये जाये तथा बीट कर्मी बीट में जाकर शिकायतकर्ता से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी कर समाधान कराये जाने का प्रयास करे एवं इसका विवरण बीट रजिस्टर में अंकित करें।

महिला हेल्प डेस्क पर महिलाओं द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों की जांच महिला बीट कर्मी को ही दी जाय तथा कर्मी उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण बीट रजिस्टर में अंकित करेगीं। महिला बीट कर्मी द्वारा बीट क्षेत्र में जब भी मीटिंग कर महिला एवं बाल अपराध रोकथाम, साइबर अपराध, बाल–विवाह रोकथाम, बालश्रम, नये कानूनों, विभिन्न हेल्प लाइन जैसे–1090, यूपी–112,1076, 181,1930 के सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार करें तो इसका पूर्ण विवरण बीट रजिस्टर में मीटिंग का दिनांक, स्थान, उपस्थित व्यक्तियों का नाम मो०नं० आदि अंकित करें तथा फोटोग्राफ जरूर ले। महिला बीट कर्मी अपने–अपने बीट में विवादित प्रकरणों को चिन्हित कर उसके सम्बन्ध में बीट सूचना अवश्य अंकित करायें। महिला एवं बाल अपराध से सम्बन्धित अभियोगों में अभियुक्त की गिरफ्तारी टीम में बीट महिला कर्मी को अवश्य सम्मिलित किया जाये।